यालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

र्थना–पत्र संख्या :–233 / 2022 दायर दिनांकः 27.09.2022

CMS NO:- 2022/412

पीठासीन अधिकारीः– शत्रुघ्न सिंह गुर्जर

1. कैलाशी पत्नी प्रभुलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम मालेडा तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)

–प्रार्थिया–

वनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब नैनवां तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. भूरी पत्नी राधेश्याम जाति गुर्जर निवासी ग्राम सेदरी गुजरान तहसील उनियारा जिला टोंक (राज.)

–अप्रार्थीगण–

प्रार्थना पत्रः–अंतर्गत धारा 251(क) आर0टी0 एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थी की ओर से वकील श्री दीपक कुमार गुर्जर।

निर्णय दिनांक 23.01.2024

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम खेरूणा पटवार मण्डल खेरूणा तहसील नैनवां जिला बून्दी राज. में वर्तमान जमावंदी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या नया 90 कृषि भूमि खसरा संख्या 29 रकबा 0.2993 हैक्टेयर व खसरा संख्या 30 रकबा 0.9546 हैक्टेयर स्थित है, इस भूमि के खातेदार कृषक प्रार्थिया व अप्रार्थिया संख्या 2 है जिनके हिस्से प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न जमाबंदी में दर्ज है। यह कि ग्राम खेरूणा पटवार मण्डल खेरूणा तहसील नैनवां जिला बून्दी में वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या नया 1 की कृषि भूमि खसरा संख्या 31 रकबा 0.0162 हैक्टेयर स्थित है, यह भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, जमाबंदी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित प्रार्थिया के खातेदार अधिकार व आधिपत्य की कृषि भूमि खसरा संख्या 29 व खसरा संख्या 30 में आने–जाने, गाडी–बैल, हल–कुली, ट्रेक्टर–ट्रोली एवं अन्य कृषि उपकरण, कृषि उपज लाने ले जाने का रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज रास्ता खसरा संख्या 32 से खसरा संख्या 31 में होकर खसरा संख्या 29 में पहुंचता है इसके बाद प्रार्थिया अपनी अन्य कृषि भूमि खसरा संख्या 30 में आती जाती है। उपरोक्त रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थिया की कृषि भूमियों में आने जाने का कोई रास्ता नही है। यह कि खसरा संख्या 31 की भूमि में होकर प्रार्थिया के निकलने को लेकर पडोसी खेत वाले से अक्सर प्रार्थिया से विवाद करते रहते है जिससे लडाई झगडा होने का भी पूर्ण अन्देशा बना रहता है व अवैध एवं अनाधिकृत रूप इस राजकीय भूमि पर कब्जा करना चाहते है जिससे भविष्य में प्रार्थिया का पैदल निकलना भी सम्भव नही होगा, अन्य कोई साधन प्रार्थिया की कृषि भूमि पर आ जा नही सकेंगे, मौके पर रास्ता अवरूद्ध कर दिये जाने से प्रार्थिया का आगामी फसल की बुवाई करना भी सम्भव नही रहेगा जिससे प्रार्थिया की भूमि के पडत रह जाने की भी पूर्ण सम्भावना हो गई है। यह प्रार्थना पत्र का वाद का कारण है। यह कि प्रार्थिया को प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमियों में आने जाने व अन्य कृषि उपकरण लाने ले जाने के लिए कम से कम 12 फीट चौडे रास्ते की आवश्यकता है। प्रार्थिया को खसरा संख्या 31 में से होकर 12 फीट चौडाई का रास्ता घोषित करवाये, रास्ते का अंकन राजस्व नक्शे व राजस्व रिकार्ड में करवाने का अधिकार है। रास्ता कायम करने का अधिकार श्रीमान के न्यायालय को प्राप्त है। यह कि उपरोक्त रास्ते में जितनी भी भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के खाते की काम आयेगी उसका नियमानुसार प्रतिकर प्रार्थिया अदा करने को तैयार है। प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थीया ने नकल जमाबंदी एवं नकल नक्शा ट्रेस आदि प्रस्तुत किये।

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां [illegible] प्राप्त की गई। जिसंके मुताबिक प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के लिए ख[illegible]क) की पूर्व–पश्चिम में लम्बाई 10 गट्ठा व चौडाई 2 गट्ठा कुल 20 वर्गगट्ठा [illegible]त है।। यह कि उक्त रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। यह कि उक्त चाहे गए रास्ते के अतिरिक्त कोई दुसरा निकटतम रास्ता भी नही है। जिसमे निम्नानुसार [illegible] काम में आयेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2024.02.06 15:30:06 IST
Reason: SelfAttested

ख0न0	खातेदार	किस्म	ल0	चौ0	कुल क्षेत्रफल
31	सिवायचक (सरकारी)	बंजड	10 गट्ठा	2 गट्ठा	20 वर्गगट्ठा अर्थात् 0–01 बिस्वा

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

हमने प्रार्थना–पत्र, शपथ–पत्र व प्रस्तुत साक्ष्य रिकॉर्ड जमाबन्दी व रास्ते के सम्बंध में ीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया । प्रार्थी को प्रार्थना–पत्र में अंकित भूमि पर आने ने हेतु रास्ते की आवश्यकता है। प्रार्थीगण ने रास्ते का प्रतिकर अदा करने हेतु भी प्रार्थना–पत्र में वेदन किया है। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम खैरूणा पटवार मण्डल खेरूणा तहसील नैनवां जिला बून्दी राज. में वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या नया 90 कृषि भूमि खसरा संख्या 29 रकबा 0.2993 हैक्टेयर व खसरा संख्या 30 रकबा 0.9546 हैक्टेयर पर आने जाने हेतु खसरा संख्या 31 किस्म बंजड (सिवायचक) की पूर्व–पश्चिम में लम्बाई 10 गट्ठा व चौडाई 2 गट्ठा कुल 20 वर्गगट्ठा का प्रस्तावित रास्ते जिसे परिशिष्ट–''क'' नाम दिया गया है, जो इस न्यायालय निर्णय का अंग होगा, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरांत दर्ज किया जाकर मौके पर प्रार्थीगण का रास्ता बहाल करने के आदेश तहसीलदार नैनवां को दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 23.1.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2024.02.06 15:30:06 IST
Reason: SelfAttested

ग्राम - खरेलणा
तह० - नैनवा
जिला - बून्दी
सन - 1992-93

परिशिष्ट - "5"

उपखण्ड अधिकारी नैनवां

क्रमांक:- रीडर / 2024 / 33

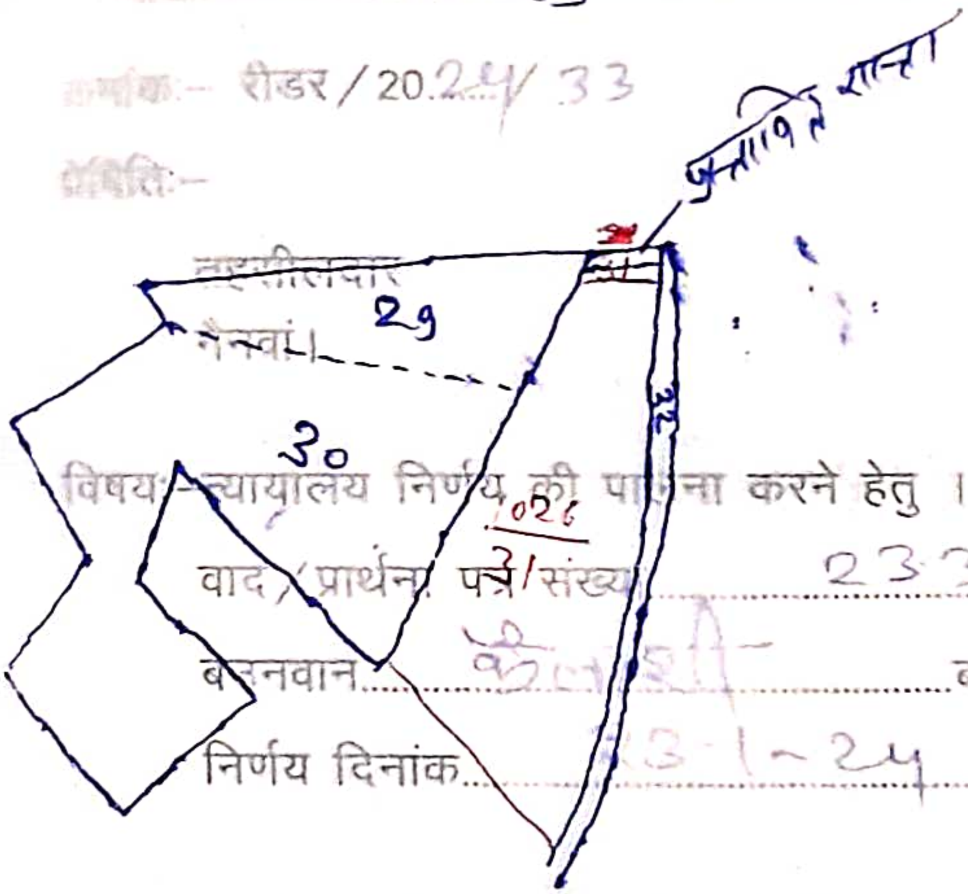

प्रति:-

तहसीलदार
नैनवां।

विषय:- न्यायालय निर्णय की पालना करने हेतु ।

वाद / प्रार्थना पत्र / संख्या .... 233 ....

बनाम .... कैलाशी .... बनाम....

निर्णय दिनांक............ 3-1-24 ....

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वाद पत्र /

साथ प्राथमिक डिक्री / अन्तिम डिक्री / अंतिम निर्णय

जा रही है। पालना अन्दर ... कर रिपोर्ट

कुल किता - 5
कुल रकबा - 2.38
P - 35

सत्य प्रतिलीपी

संलग्नः- उक्तानुसार।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

18/09/23
... कुमार प्रजापत
पटवारी
प० ह०
नाम नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2024.02.06 15:30:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां जिला बून्दी (राज0)

क्रमांकः– रीडर/20.24/33

दिनांकः– 29.1.24

प्रेषितिः–

तहसीलदार
नैनवां।

विषयः–न्यायालय निर्णय की पालना करने हेतु ।

वाद/प्रार्थना पत्र संख्या 233/प्रा0पत्र/2022

बउनवान कैलाशी बनाम TAR

निर्णय दिनांक 23-1-24

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वाद पत्र/प्रार्थना पत्र के निर्णयानुसार पत्र के साथ ~~प्राथमिक डिक्री/अन्तिम डिक्री~~/अंतिम निर्णय की प्रति वास्ते पालना हेतु भिजवायी जा रही है। पालना अन्दर 7 योम के की जाकर रिपोर्ट से अवगत करावे।

संलग्नः– उक्तानुसार।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2024.02.06 15:30:06 IST
Reason: SelfAttested